कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर (राज0)

क्रमांकः—656—/स्था0 दिनांकः 09 दिसम्बर, 2025

:: आ दे श ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राज0) के आदेश क्रमांक 21/विविध/2025, दिनांक 06.11.2025 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में गुरूवार दिनांक 25.12.2025 से बुधवार दिनांक 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित किया गया है। अतः जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयो में दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक इस न्यायक्षेत्र के अग्रलिखित न्यायालय राजपत्रित एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर, उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों को शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुले रहेगें। शीतकालीन अवकाश के दौरान इस न्यायक्षेत्र के जिला एवं सेशन न्यायाधीश, एवं अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक सिविल एवं फौजदारी का कार्य अग्रलिखित अधिकारियों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित अवकाश अवधि में किया जाएगा एवं यह अधिकारी अवकाश अवधि में प्रभारी अधिकारी, लेखाशाखा/तामील शाखा/प्रतिलिपि शाखा के आवश्यक एवं दैनिक कार्य भी उनके नाम के सम्मुख अंकित अवकाश अवधि के अनुसार देखेंगेः—

क्र. सं.	पीठासीन अधिकारी व पदनाम	मोबाईल नंबर	न्यायालय खुले रहने की अवधि	बैठक का स्थान
1	श्रीमती प्रीति चौधरी, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू, जिला जयपुर	9413277872	26.12.2025	एसीजेएम क्रम—01, जयपुर जिला, जयपुर
2	श्रीमती प्रतिभा मोट्यार, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा, जिला जयपुर	9680032564	29.12.2025	सीजेएम, जयपुर जिला, जयपुर
3	श्रीमती रेखा तिवारी, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फागी, जिला जयपुर	9462062677	30.12.2025 एवं 31.12.2025	एसीजेएम (एसपीई कैसेज), जयपुर जिला, जयपुर

उपरोक्त अधिकारी जिला एवं सेशन न्यायालय एवं अति0 जिला एवं सेशन न्यायालयों का आवश्यक सिविल कार्य भी निपटायेंगे तथा अवकाश अवधि में प्रभारी अधिकारी लेखाशाखा/तामील शाखा/प्रतिलिपि शाखा के आवश्यक एवं दैनिक कार्य भी उनके नाम के सम्मुख अवधि में उनके द्वारा किया जायेगा।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 21/विविध/2025, दिनांक 06.11.2025 की अनुपालना में शीतकालीन अवकाश की अविध में विशिष्ट न्यायालय, एन.डी.पी.एस., सी.बी.आई. केसेज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, पोक्सो एक्ट प्रकरण न्यायालय भी बन्द रहेंगें लेकिन इन विशिष्ट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में कम से कम दो बार न्यायालयों में आवश्यक कार्य हेतु बैठेंगे।

अवकाश दिवसों को सेशन खण्ड (पोक्सो/विद्युत अधिनियम/अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम) रिमाण्ड ड्यूटी

दिनांक 25.12.2025 (क्रिसमस अवकाश) एवं 27.12.2025 (चतुर्थ शनिवार) 28.12.2025 (रविवार) को अग्रलिखितानुसार अधिकारियों को रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत किया जाता हैः—

09.12.2025

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर जिला, जयपुर

क्र. सं.	पीठासीन अधिकारी व पदनाम	मोबाईल नंबर	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक	बैठक का स्थान
1	श्रीमती प्रीति चौधरी, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू, जिला जयपुर	9413277872	25.12.2025	एसीजेएम क्रम–01, जयपुर जिला, जयपुर
2	श्रीमती प्रतिभा मोट्यार, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा, जिला जयपुर	9680032564	27.12.2025 एवं 28.12.2025	सीजेएम, जयपुर जिला, जयपुर

नोटः– दिनांक 25.12.2025 ,27.12.2025 एवं 28.12.2025 को रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत पीठासीन अधिकारी के किसी भी कारण अवकाश पर रहने/असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में क्रमशः दिनांक 25.12.2025 को श्रीमती सरिता यादव, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर, जिला जयपुर एवं दिनांक 27.12.2025 एवं 28.12.2025 को श्री गौरव गर्वा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ रेनवाल, जिला–जयपुर द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जावेगा।

उपरोक्त के अलावा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित उक्त अवधि में जमानत एवं निरोध अवधि की अभिवृद्धि (रिमाण्ड) संबंधी एवं आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिए समस्त न्यायालयों का आवश्यक दैनिक कार्य करने के लिए जयपुर जिला, जयपुर में पदस्थापित अग्रलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायिक अधिकारियों को अधिकृत किया जाता हैः–

क्र. सं.	पीठासीन अधिकारी व पदनाम	मोबाईल नंबर	न्यायालय खुले रहने की अवधि	बैठक का स्थान
1	श्रीमती नताशा चौधरी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा, जिला – जयपुर	9680564407	26.12.2025	ए.सी.जे. एण्ड जे.एम. क्रम–3, जयपुर जिला, जयपुर
2	श्रीमती विनीता कालिया, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जमवारामगढ़, जिला , जयपुर	9915104315	29.12.2025	सी.जे. एण्ड जे.एम., जयपुर जिला, जयपुर
3	श्री विकास चौधरी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला– जयपुर	9672909999	30.12.2025 एवं 31.12.2025	ए.सी.जे. एण्ड जे.एम. क्रम–1, जयपुर जिला, जयपुर

अवकाश दिवस को रिमाण्ड ड्यूटी

दिनांक 25.12.2025 (क्रिसमस अवकाश) एवं 27.12.2025 (चतुर्थ शनिवार) 28.12.2025 (रविवार) को अग्रलिखितानुसार अधिकारियों को रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत किया जाता हैः–

क्र. सं.	पीठासीन अधिकारी व पदनाम	मोबाईल नंबर	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक	बैठक का स्थान
1	श्रीमती नताशा चौधरी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा, जिला – जयपुर	9680564407	25.12.2025	ए.सी.जे. एण्ड जे.एम. क्रम–3, जयपुर जिला, जयपुर
2	श्रीमती विनीता कालिया, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जिला– जयपुर	9915104315	27.12.2025 एवं 28.12.2025	सी.जे. एण्ड जे.एम., जयपुर जिला, जयपुर

09.12.2025

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर जिला, जयपुर

नोटः–

1. दिनांक 25.12.2025 ,27.12.2025, 28.12.2025 एवं 01.01.2026 को रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत पीठासीन अधिकारी के किसी भी अवकाश पर रहने/असाधारण परिस्थिती उत्पन्न होने की स्थिति में क्रमशः दिनांक 25.12.2025, 27.12.2025 व 28.12.2025 को श्री सुरजीत सिंह, अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–03 जयपुर, जिला जयपुर एवं दिनांक 01.01.2026 को श्रीमती हुमा कोहरी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जावेगा।

2. उपरोक्तानुसार अधिकृत किये गये पीठासीन अधिकारी को पूर्व में यदि मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान कर दी गई है तो उक्त अवधि के लिये निरस्त समझी जावेंगी तथा संबंधित पीठासीन अधिकारी उनके सम्मुख अंकित तिथि को मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे।

03. उपरोक्त समस्त अधिकारीगण ड्यूटी अवधि में हर समय मोबाईल पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगें।

04. दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में न्यायक्षेत्र के उपरोक्तानुसार खुलने वाले न्यायालयों के बैठक के निर्धारित स्थल के कर्मचारीगण उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि में शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं कर सकेंगें।

05. दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 एवं 01.01.2026 के अवकाश अवधि में अधिकृत पीठासीन अधिकारी उनसे संबंधित दिवसों में आने वाली "प्रोटोकॉल ड्यूटी" सम्पादित करेंगे। इस हेतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोबाईल क्रम–02, जयपुर जिला, जयपुर के वाहन (वाहन चालक सहित) को उपयोग में ले सकेंगे।

06. शीतकालीन अवकाशों में शीतकालीन न्यायालय द्वारा अभिलेखालय से पत्रावली तलब किये जाने की स्थिति में श्री कुशाल सिंह राठौड़, अभिलेखपाल, मोबाईल नम्बर 7821888838 एवं श्री योगेश आचार्य, मोबाईल नम्बर 9983810101 केन्द्रीय अभिलेखालय, जयपुर जिला, जयपुर आवश्यकतानुसार **(On Call)** उपस्थित रहेगें।

07. सिस्टम ऑफिसर/सिस्टम असिसटेंट, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर शीतकालीन अवकाश अवधि में प्रतिदिन प्राप्त होने वाले ई–मेल **(E-mail)** को अवकाश अवधि में अधिकृत पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।

उपरोक्त के अलावा जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर की केन्द्रीकृत लेखाशाखा/प्रतिलिपि शाखा/तामीलशाखा में कार्यरत अग्रलिखित कर्मचारीगण दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि में राजपत्रित अवकाशों एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोडकर शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे :–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पद	केन्द्रीयकृत शाखा	अवधि
01	श्री अखिलेश शर्मा, लिपिक ग्रेड–प्रथम	लेखाशाखा	26.12.2025 एवं 29.12.2025
02	श्री प्रदीप शर्मा, रीडर ग्रेड–द्वितीय	लेखाशाखा	30.12.2025 एवं 31.12.2025
03	श्री योगेन्द्र राज नागर, लिपिक ग्रेड–प्रथम	प्रतिलिपि	26.12.2025 एवं 29.12.2025
04	श्री सत्यनारायण प्रजापति, लिपिक ग्रेड–द्वितीय	प्रतिलिपि	30.12.2025 एवं 31.12.2025
05	श्री हरिराम मीणा, प्रोसेस सर्वर	नजारत	26.12.2025 एवं 29.12.2025
06	श्री रामजीलाल मीणा,च0श्रे0 कर्मचारी	नजारत	26.12.2025 एवं 29.12.2025
07	श्री बद्रीनारायण मीणा, प्रोसेस सर्वर	नजारत	30.12.2025 एवं 31.12.2025
08	श्री रोहिताश कुमार च0श्रे0 कर्मचारी	नजारत	30.12.2025 एवं 31.12.2025

शीतकालीन अवकाश की अवधि में नाजिर का कार्य **श्री प्रदीप शर्मा, रीडर ग्रेड–द्वितीय एवं श्री अखिलेश शर्मा, लिपिक ग्रेड–प्रथम** एवं द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि में किया जायेगा तथा श्री मनीष कुमार यादव आशुलिपिक ग्रेड तृतीय, जिला

09.12.2025
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर जिला, जयपुर

न्यायालय,जयपुर दिनांक 25.12.2025, 27.12.2025 एवं 28.12.2025 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला जयपुर में आशुलिपिक का कार्य करेंगे।

ई–कोर्ट प्रोजेक्ट तृतीय चरण के तहत निर्धारित समय सीमा में जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र में जिला मुख्यालय पर स्थित केन्द्रीयकृत अभिलेखालय में जमा पत्रावलियों की **Scanning & Digitization** की प्रकिया के दौरान **Scanned Images** की **Quality Check and Verification** के लिये अग्रलिखित कर्मचारीगण दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि में राजपत्रित अवकाशों एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोडकर शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे :–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पद	अवधि
01	श्री विकास बैरवा, लिपिक ग्रेड–द्वितीय	26.12.2025 एवं 29.12.2025
02	श्री दिपांशु लाटा, लिपिक ग्रेड–द्वितीय	
03	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, शेरिस्तेदार प्रथम	30.12.2025 एवं 31.12.2025
04	रिंकू जांगिड़, लिपिक ग्रेड–द्वितीय	

–sd

(भंवर लाल बुगालिया)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर जिला, जयपुर (राज0)

7632 to 7661

क्रमांकः———— /स्था0 दिनांकः 09 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार प्रशासन, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर।
3. इस न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायिक अधिकारीगण को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उनसे सम्बन्धित मुख्यालय/तालुका पर वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, सम्बन्धित बार एसोसिएशन अध्यक्ष/सचिव को उक्त आदेश की प्रति प्रेषित करेंगे एवं एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगें तथा यदि उनके अधीनस्थ किसी कर्मचारी की ड्यूटी शीतकालीन अवकाश अवधि में लगाई गई है अथवा कोई केन्द्रीयकृत शाखा उनसे सम्बन्धित है तो उस कर्मचारी को सूचित/पाबन्द करेगें।
4. प्रभारी अधिकारी, लेखाशाखा/प्रतिलिपि शाखा/अभिलेखालय/नजारत शाखा/पुस्तकालय/रिटर्न शाखा/ई–कोर्ट्स/न्यायिक सेवा केन्द्र, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर।
5. समस्त अधीनस्थ न्यायालय (विशिष्ट न्यायालयों सहित) जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र।
6. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर।
7. पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर महानगर/पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीन पुलिस थानों को सूचित करें।
8. अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन, जयपुर/दी डिस्ट्रीक्ट बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट, जयपुर।
9. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, सांभरलेक/जमवारामगढ/ शाहपुरा/ चौमू/ दूदू/ किशनगढ़ रेनवाल/ जोबनेर/ फागी।
10. प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ मुंसरिम/रीडर ग्रेड–प्रथम, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर।
11. सम्बन्धित कर्मचारी श्री।
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
13. आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली।

09.12.2025

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर जिला, जयपुर (राज0)